

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 304/2026
अनवान : -

1. सुभाष चन्द्र पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- वादी

बनाम्

1. दिनेश कुमार पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. राजबाला पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
3. सावत्री पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
5. लीलो पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
6. चम्पा देवी पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
7. इन्द्रा पत्नी हंसराज जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
8. बलवीर सिंह पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
9. राजेन्द्र पुत्र रूकमा पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. समेस्तादेवी पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संम्बत 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4.3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भुमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भुमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भुमि जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है वादी के दादा हजारीराम का देहन्त हो चुका है। वादी के दादा के कुल 8 वारीस है रूकमा, दिनेश, राजबाला, हंसराज, सावत्री, देवीलाल, लीलो, चम्पादेवी, हुवे तथा वादी के दादा की पुत्री रूकमा फौत हो चुकी है उनके कुल 2 वारीस हुवे। राजेन्द्र, समेस्तादेवी है। हंसराज फौत हो चुका है उनके कुल 3 वारीस हुवे। इन्द्रा देवी (पत्नी), बलवीर, वादी सुभाष चन्द्र उपरोक्त कृषि भुमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 राजबाला, 3 सावत्री, 5 लीलो, 6 चम्पादेवी, वादी के पिता की बहने है तथा प्रविवादी संख्या 9 व 10 वादी की भुआ रूकमा के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भुमि में कोई हक नहीं लेना चाहते है वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में हक परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा काबिज है अतः रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4.3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द का नाम कलमजन कर हक वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के साथ 1/3 हिस्सा में ब० हि० ब० हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा के खातेदार दर्ज किया जावे। वादी जिसकी न्यायालय से घोषण करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

अत वाद वादी घोषणा की जावे कि रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4. 3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द का नाम कलमजन करम्हवादी व प्रतिवादी संख्या 8 के साथ 1/3 हिस्सा में ब० हि० ब० हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण हजारीराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है वादी के दादा हजारीराम का

Zahul
उपजुष्ट अधिकारी
नोहर

देहन्त हो चुका है। वादी के दादा के कुल 8 वारीस है रूकमा, दिनेश, राजबाला, हंसराज, सावत्री, देवीलाल, लीलो, चम्पादेवी, हुवे तथा वादी के दादा की पुत्री रूकमा फौत हो चुकी है उनके कुल 2 वारीस हुवे। राजेन्द्र, समेस्तादेवी है। हंसराज फौत हो चुका है उनके कुल 3 वारीस हुवे। इन्द्रा देवी (पत्नी), बलवीर, वादी सुभाष चन्द्र उपरोक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 राजबाला, 3 सावत्री, 5 लीलो, 6 चम्पादेवी, वादी के पिता की बहने है तथा प्रविवादी संख्या 9 व 10 वादी की भुआ रूकमा के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक नहीं लेना चाहते है वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में हक परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा काबिज है अतः रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4.3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द का नाम कलमजन कर हक वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के साथ 1/3 हिस्सा में ब० हि० ब० हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा के खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4.3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजारीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है वादी के दादा हजारीराम का देहन्त हो चुका है। वादी के दादा के कुल 8 वारीस है रूकमा, दिनेश, राजबाला, हंसराज, सावत्री, देवीलाल, लीलो, चम्पादेवी, हुवे तथा वादी के दादा की पुत्री रूकमा फौत हो चुकी है उनके कुल 2 वारीस हुवे। राजेन्द्र, समेस्तादेवी है। हंसराज फौत हो चुका है उनके कुल 3 वारीस हुवे। इन्द्रा देवी (पत्नी), बलवीर, वादी सुभाष चन्द्र उपरोक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 राजबाला, 3 सावत्री, 5 लीलो, 6 चम्पादेवी, वादी के पिता की बहने है तथा प्रविवादी संख्या 9 व 10 वादी की भुआ रूकमा के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक नहीं लेना चाहते है वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में हक परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7

वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा काबिज है अतः रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4.3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द का नाम कलमजन कर हक वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के साथ 1/3 हिस्सा में ब० हि० ब० हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा के खातेदार दर्ज किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4.3750 है०, 401 की 11.431 है०, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है०, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को 1/3 हिस्सा भूमि के ब० हि० ब० तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 304/2026

अनवान : -

1. सुभाष चन्द्र पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- वादी

बनाम्

1. दिनेश कुमार पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. राजबाला पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
3. सावत्री पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
5. लीलो पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
6. चम्पा देवी पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
7. इन्द्रा पत्नी हंसराज जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
8. बलवीर सिंह पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
9. राजेन्द्र पुत्र रूकमा पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. समेस्तादेवी पुत्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी चौनपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 304 सन 2026 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चौनपुरा पटवार हल्का लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी संभवत 2077-2080 के खाता संख्या 111/111 के खसरा संख्या 231 की 4. 3750 है0, 401 की 11.431 है0, कुल खसरे 2 की कुल तादादी 15.8060 है0, भूमि में से 1/12 हिस्सा मृतक हजारीराम पुत्र हरचन्द का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को 1/3 हिस्सा भूमि के ब0 हि0 ब0 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर